मोहम्मद युनुस

बनाम

गुजरात राज्य

15 अक्टूबर, 1997

[जी. एन. रे और जी. बी. पटनायक, जे.जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987: धारा 20ए, 3 और 5।

टाडा अभियुक्त - आरोप अंतर्गत धारा 3 और 5 - प्रावधान लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त - आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए वैधानिक प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन - पालन करने में विफलता - प्रभाव।

अपीलार्थी अभियुक्त पर अंतर्गत धारा 3 और 5 का आरोप - धारा 20 ए (1) के तहत आवश्यक जिला पुलिस अधीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया - धारा 20 ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के लिए आरोप हटाने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर प्रार्थना पत्र - नामित न्यायालय द्वारा अस्वीकृति - उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील- अभिनिर्धारित किया, सांविधिक प्राधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य - ऐसे अनुमति लिखित में होनी चाहिए -मौखिक अनुमति स्वीकार नहीं की जा सकती है - तथ्यों पर यहाँ तक कि मौखिक अनुमति भी नहीं दी गई थी।

अनिरुद्धसिंजी करनसिंहजी जडेजा और अन्य बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. (1995) 5 एस. सी. 2390, संदर्भित।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता:आपराधिक अपील सं. 741/ 1997

टी. सी. सी. संख्या 3/ 1996 में नामित न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 21.4.97 से।

डब्ल्यू. ए. अंसारी, के. एम. एम. खान, शुएब अर्शी और एन. ए. सिद्दीकी, अपीलार्थी की ओर से।

डॉ. घटाटे और सुश्री एच. वाही, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

इस अपील में, विद्वान नामित न्यायाधीश, अहमदाबाद द्वारा 21 अप्रैल, 1997 को पारित आदेश में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में टाडा) की धारा 3 और 5 के तहत आरोप हटाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।) पुलिस स्टेशन रखियाल, जिला अहमदाबाद के सीआर नंबर 94/93 से उत्पन्न आतंकवादी आपराधिक मामला संख्या 3196 में टाडा की धारा 20 ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण चुनौती दी जा रही है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अनिरुद्धसिंजी करनसिंहजी जुदेजा और अन्य बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. (1995) 5 एस. सी. 2390 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैंसले का उल्लेख किया है। उक्त फैंसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि टाडा के तहत अपराध का संज्ञान धारा 20ए की उप-धारा (1) और टाडा की धारा 20ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन पर लिया जा सकता है। टाडा की धारा 20 ए की उप-धारा (1) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

> "20-ए (1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।"

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में, टाडा की धारा 20ए की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट वैधानिक प्राधिकारी ने टाडा के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी है। इसलिए टाडा के तहत आरोप लागू नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस तारीख को इस मामले में अनुसन्धान किया गया था, उसी तारीख को अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त मौजूद थे और उन्होंने टाडा की धारा 20ए (1) के तहत मौखिक अनुमति दी थी। हम यहाँ संकेत दे सकते हैं कि टाडा के प्रावधानों के तहत शुरू किए गए आपराधिक मामले में गंभीर परिणामों को देखते

हुए, मौखिक अनुमति स्वीकार नहीं की जा सकती है। हमारे विचार में, धारा 20ए(1) का यह संकेत देकर अर्थ लगाया जाना चाहिए कि उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट सांविधिक प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लिखित रूप में होना चाहिए ताकि सांविधिक प्राधिकरण की कार्रवाई में पारदर्शिता हो और बाद में मौखिक अनुमति पेश करके किसी भी छल-कपट का कोई अवसर न हो।

इसके अलावा, मामले के तथ्यों में हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि मौखिक अनुमति भी नहीं दी गई थी। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता डॉ. घटाटे ने हमारा ध्यान दो दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया है, अर्थात् एसीपी अपराध शाखा अहमदाबाद द्वारा उप आयुक्त अपराध शाखा अहमदाबाद शहर को रखियाल पुलिस स्टेशन सीआर 1-94/93 के संबंध में टाडा की धारा 3 और 5 को लागू करने के लिए संबोधित पत्र। यह पत्र 11 अगस्त, 1994 का है। उक्त पत्र में, एक अनुरोध किया गया था कि पत्र में बताए गए तथ्यों में, टाडा की धारा 3 और 5 को लागू करना आवश्यक था और तदनुसार अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया था। डॉ. घटाटे द्वारा हमारे सामने रखा गया दूसरा दस्तावेज़ ए.सी.पी. अपराध शाखा अहमदाबाद द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर डी. सी. पी. द्वारा दी गई अनुमति है। ऐसा प्रतीत होता है कि 11.8.94 को इस तरह की अनुमति अहमदाबाद शहर की पुलिस अपराध शाखा के उपायुक्त श्री ए.के.सुरोलिया द्वारा दी गई थी और इस तरह की अनुमति निम्नलिखित प्रभाव से दी गई हैः

> 'इसलिए, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं यह उचित समझता हूं कि इस मामले में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में टाडा) के प्रासंगिक प्रावधानों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में लागू किया जाना है और इसलिए मैं इसके लिए अनुमति देता हूं।'

ऐसा पत्र यह इंगित करता है कि कथित मौखिक अनुमति पुलिस आयुक्त द्वारा नहीं दी गई थी अन्यथा पुलिस आयुक्त के अधीनस्थ प्राधिकारी अर्थात् पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेने और ऐसे अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने का कोई अवसर नहीं मिलता। चूंकि टाडा की धारा 20ए(1) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए टाडा की धारा 3 और 5 के प्रावधानों के तहत आरोप उक्त आपराधिक मामले में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, टाडा के प्रावधानों के इस तरह के आह्वान को अपास्त किया जाता है। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनिरुद्धसिंहजी के

मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 16 में बताए गए कानून के अनुसार आगे कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारी के लिए खुला रहेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस पर विचार नहीं किया है कि मामले के तथ्यों में, टाडा की धारा 3 और 5 के तहत एक मामला बनाया गया है या नहीं क्योंकि ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त का पालन नहीं किया गया था। इसलिए इस तरह के प्रश्न को उचित स्तर पर विचार करने के लिए खुला रखा जाता है। इस अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

टीएनए

अपील का निस्तारण किया गया।